

//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)  
राजस्व प्रकरण संख्या :- 154/2021

**उनवान**

1. बीरमा पुत्र हरजी,
2. मोहन पुत्र हरजी,
3. करणा पुत्र हरजी,
4. प्रेम पुत्र हरजी,
5. राधा,
6. रूपी पि० हरजी,
7. महावीर,
8. कान सिंह पुत्र धन्ना,
9. जीवणी,
10. गन्ना पि० धन्ना,
11. मीरा पत्नी दयाल,
12. राहुल पुत्र दयाल,
13. भावना पुत्री दयाल,
14. भंवर पुत्र भोली समस्त जाति रावत निवासी ग्राम धोला दांता बूबानिया  
— वादीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

**बनाम**

1. कल्याण पुत्र काना
2. घासी पुत्र काना जाति भील, निवासी ग्राम धोलादांता बूबानिया, नसीराबाद
3. उप पंजीयक नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार नसीराबाद, तहसील कार्यालय नसीराबाद।

— प्रतिवादीगण :- 1 से 2 अनुपस्थित  
3 व 4 जरियें राज० पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज० काश्त० अधि० 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम  
1956

—: निर्णय :-

दिनांक :- १५/५/२५

—2

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद (अजमेर)

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाघसुरी में वादीगण की पुश्तैनी कयशुदा खातेदारी/काश्तकारी की आराजी का विवरण निम्न प्रकार है :-

चौसाला ख0न0	रकबा	वंकिंग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
134 में से 134/41646	15-0-0	384	5-19-0	580	0.96
		384/1	4-10-0		
		384/2	1-9-0		

उपरोक्त आराजी चौसाला जमाबंदी के खसरा नम्बर 134/41646 रकबा 15-0-0 तत्कालीन खातेदार इन्द्रचन्द पुत्र हरकचन्द कौम महाजन से वादीगण के पूर्वज हरजी पुत्र सुखा रावत ने कय की थी। कय की गयी आराजी नामान्तकरण संख्या 299 दिनांक 18.02.1968 से केता के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। केता हरजी पुत्र सुखा की मृत्यु हो गयी है के वारिसा वादीगण है। केता हरजी पुत्र सुखा की मृत्यु के बाद आराजी मुतनाजा वंकिंग खसरा नम्बर 384 के हाल खसरा नम्बर 580 रकबा 0.96 की भूमि वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय बंदोबस्त विभाग व राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी हक व अधिकार के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम गलत अंकित कर दी। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे हैं तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कोई खण्डन नहीं होने के कारण तनकी कायम नहीं की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये। तथा साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया। राज0 पैरोकार ने भी साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।


पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। हाल राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 580 रकबा 0.96 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में अंकित है। वादीगण का कथन है कि उनके पूर्वज ने चौसाला खसरा नम्बर 134 में से 134/41646 रकबा 15-0-0 कय किया था। किन्तु वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र अनुसार उनके पूर्वज हरजी पुत्र सुखा ने चौसाला खसरा नम्बर 134/41 व 46 रकबा 7-10-0 ही कय किया है। वादीगण द्वारा 15-0-0 का विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख अनुसार चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 में चौसाला खसरा नम्बर 134/41 व 46 रकबा 15-0-0 छोगानाथ व बुदीचन्द पुत्र गोविन्ददास के नाम खातेदारी दर्ज है। उनके द्वारा उक्त आराजी तत्कालीन खातेदार इन्द्रचन्द पुत्र हरकचन्द कौम महाजन से कय करने बाबत विक्रय पत्र भी वादीगण ने प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगण द्वारा ऐसी कोई चौसाला जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की है जिसमें आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नम्बर 134/40 व 46 विक्रेतागण के नाम खातेदारी दर्ज हो। वादीगण का कथन है कि वंकिंग खसरा नम्बर 384 रकबा 5-19-0 त्रुटीपूर्ण तरीके से उनके नाम दर्ज नहीं किया गया। किन्तु वादीगण ने वंकिंग खसरा नम्बर 384 रकबा 5-19-0 की जमाबंदी भी पेश नहीं की है। चौसाला खसरा नम्बर 134 का कुल रकबा 422-15-0 था। वादीगण के पूर्वज ने 7-10-0 भूमि विक्रय पत्र अनुसार कय की है किन्तु वादीगण ने मात्र 5-19-0 का ही अनुतोष चाहा है शेष रकबे की स्थिति वादीगण ने वाद में स्पष्ट नहीं की है। वंकिंग खसरा नम्बर 384/1 रकबा 4-10-0 व 384/2 रकबा 1-9-0 वंकिंग जमाबंदी में भी प्रतिवादीगण के नाम ही दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अनुसूचित जन जाति के है जबकि वादीगण भिन्न जाति के होने से भी प्रकरण धारा 42 रा0 का. अधि0 1955 से बाधित है। आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबंदी व वंकिंग जमाबंदी में विकेता/केता के नाम नहीं है। वादीगण द्वारा आरजी मुतनाजा का सम्पूर्ण वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। अतः वाद के कथनों की ताईद नहीं होती है।

उक्तानुसार ग्राम बाघसुरी के हाल खसरा नम्बर 580 रकबा 0.96 की आराजी पर वादीगण का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इत्बाई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

बीरमा बनाम कल्याण

दावा बाबत :- 88, 188 राज. का. अधि० 1955 व 136 भू राज० अधि० 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर - 154/2021  
पेश करने की दिनांक - 07.12.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रुबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज० पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम बाघसुरी के हाल खसरा नम्बर 580 रकबा 0.96 की आराजी पर वादीगण का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक ९ माह 5 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद